

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत कार्मिक विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण करने के उपरांत राज्य सरकार के आदेश क्रमांक ए-5(51) कार्मिक/क-2/88-1 दिनांक 29-4-99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार **33 कनिष्ठ सहायक पद एवं 11 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के कुल 44 अभ्यर्थियों** का अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अंतर्गत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर जिला आवंटन किया जाता है।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारी के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जांच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जांच करेंगे।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी/केन्द्र/निगम/बोर्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें। (मृतक की पत्नी पर उक्त नियम 5 लागू नहीं होगा।) नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि मृत्यु की तिथि को आवेदक मृतक सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित था।
3. मृतक की अविवाहित पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है, इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
5. दत्तक पुत्र, पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे।
6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।
7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2) डीओपी/ए-11/06 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनीज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनेरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती है।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी।



10. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2(2)वित्त (नियम) 2021 पार्ट जयपुर दिनांक 25.05.2022 एवं 26.05.2022 तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार सामान्य प्रावधानी निधि की नियमानुसार मासिक कटौती की जावेगी।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
12. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा।
13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ ए-11/2006 दिनांक 05.07.2010 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.2010 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 व 04.05.2017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है, तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा। जिन प्रकरणों में शिथिलन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानांतरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.2010 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। इन्हे आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.2009 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा से छूट दी जायेगी।
15. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात ही आदेश जारी करेंगे।
16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5(51)डीओपी/ए-11/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.2015 के अनुसार नियम-5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।
17. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।
18. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक पं.5 (51) कार्मिक/क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।
19. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिस पर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो।
20. राज्य सरकार के आदेशानुसार धूम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त करें। जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवे।
21. जिन प्रकरणों में कार्मिक विभाग/शासन से शिथिलन प्राप्त है, उन प्रकरणों में प्राप्त शिथिलन में निहित शर्तों की अनुपालना की जावें।

22. जिन प्रकरणों में शिथिलन प्रदान किया गया है एवं जो अन्य विभाग के होने के कारण कार्मिक विभाग से प्राप्त हुए हैं उसमें शिथिलन आदेश में वर्णित शर्तों एवं कार्मिक विभाग से प्राप्त होने वाले प्रकरणों में कार्मिक विभाग के पत्र में वर्णित शर्तों की अनुपालना होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। इस हेतु नियुक्ति आदेश जारीकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
23. विधवा आवेदक के प्रकरणों में यदि पति की जाति जोड़कर आवेदन किया गया है तो नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व अपने स्तर पर नाम विसंगति के संदर्भ में पूर्ण पुष्टि करते हुए पुष्टि होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें तथा विवाहित आवेदक के संबंध में नियम-5 का जिशिअ का प्रमाण पत्र, आवेदक का शपथ पत्र एवं आवेदक की पत्नी का नियम-5 का शपथ पत्र प्राप्त करें। अविवाहित आवेदक के संदर्भ में वैवाहिक स्थिति का अद्यतन शपथ पत्र प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी करें। यदि वैवाहिक स्थिति में अंतर है तो आवेदक के आश्रितों के संबंध में नियम-5 के समस्त दस्तावेज (आवेदक व आवेदक की पत्नी का शपथ पत्र, आवेदक के आश्रित परिवार के संबंध में जिशिअ का प्रमाण पत्र) प्राप्त होने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें।
24. आवेदक की जन्मतिथि के संबंध में नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर प्रथमतः शैक्षणिक योग्यता/टीसी (सक्षम स्तर से प्रमाणित) एवं केवल, आवेदक के विद्यालय प्रवेश नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी जन्म प्रमाण पत्र से पुष्टि करने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें।
25. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.7(13)कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11-5-2023 के अनुसार राजकीय सेवा में कार्यग्रहण करने के समय प्रत्येक कार्मिक से निम्न आशय का शपथ पत्र भी लिया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावे :-
 "मैं शपथ लेता हूँ/लेती हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा/रखूंगी, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा/रखूंगी तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालना करूंगा/करूंगी। (अतः ईश्वर मेरी सहायता करें)"

चूंकि विभाग में कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी है, अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुवे संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाएँ एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियाँ संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर, एक प्रति संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें।

कनिष्ठ सहायक (स्थिर पारिश्रमिक – नियमानुसार देय)

क्र. सं.	आवेदक का नाम, योग्यता व जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि व आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	संबंधित जिला	आवंटित जिला
1	2	3	4	5	6	7
1.	विमलेश सी.सै. 20.05.1983	पत्नी	21.12.2024 कनिष्ठ सहायक	विजयसिंह पाल व.स.माशि.	दौसा	भरतपुर
2.	मुकेशी बाई सी.सै. 01.01.1995	पत्नी	05.02.2025 कनिष्ठ सहायक	बुद्धिप्रकाश प्र.शा.स. माशि	सवाईमाधोपुर	बूंदी
3.	आरती कुमारी सैनी बी.ए. 17.09.1990	पत्नी	03.10.2025 कनिष्ठ सहायक	राधेकान्त सैनी व्या.माशि	अलवर	झुंझुनू

क्र. सं.	आवेदक का नाम, योग्यता व जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि व आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	संबंधित जिला	आवंटित जिला
1	2	3	4	5	6	7
4.	पिंकी वर्मा बी.ए. 25.10.1990	पत्नी	03.10.2025 कनिष्ठ सहायक	विनोद कुमार बैरवा व.अ. माशि	करौली	करौली
5.	गुड्डी मीणा सी.सै. 10.07.2003	पत्नी	09.10.2025 कनिष्ठ सहायक	रामावतार मीणा अध्या. माशि	टोंक	टोंक
6.	सोनम बुरहाडिया एम.ए 26.10.1988	पत्नी	29.10.2025 कनिष्ठ सहायक	राजीव कोठारी क.स. माशि	खेरथल तिजारा	अलवर
7.	प्रिया कुमारी एम.ए. 15.05.1999	पत्नी	30.10.2025 कनिष्ठ सहायक	महेश व.स. माशि	भरतपुर	भरतपुर
8.	पूजा कुमारी मीणा बी.ए. 03.02.1999	पत्नी	22.01.2026 कनिष्ठ सहायक	महावीर प्रसाद मीणा क.स. माशि	बूंदी	बूंदी
9.	दर्शना एम.ए. 10.06.1984	पत्नी	13.03.2026 कनिष्ठ सहायक	राम स्वरूप व्या. माशि	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
10.	तेजस्वीनी जैन सी.सै 31.05.2007	दत्तक अविवाहित पुत्री	28.07.2025 कनिष्ठ सहायक	राजेन्द्र कुमार बाबेल लैब बॉय माशि	डीडवाना कुचामन	डीडवाना कुचामन
11.	पूनम मीणा सी.सै 15.06.2007	अविवाहित पुत्री	28.09.2025 कनिष्ठ सहायक	रमेश चन्द मीणा शा.शि माशि	बारां	करौली
12.	हीना शैख एम.ए.सी. 24.06.1987	विवाहित पुत्री	12.04.2019 कनिष्ठ सहायक	नुजहत आरा अध्या. माशि	चित्तोडगढ़	उदयपुर
13.	नरेन्द्र सिंह बी.ए. 05.05.1985	दत्तक विवाहित पुत्र	11.10.2021 कनिष्ठ सहायक	शंकर सिंह अध्या. माशि	जालौर	जालौर
14.	चन्द्रपाल सिंह चौहान बी.ए. 12.07.2004	अविवाहित पुत्र	19.04.2024 कनिष्ठ सहायक	तुलवीर सिंह चौहान व.स. माशि	भीलवाड़ा	ब्यावर
15.	देव कुमार सी.सै.21.08.2008	अविवाहित पुत्र	19.10.2024 कनिष्ठ सहायक	भागाराम सहारण व्या. माशि	चूरु	चूरु
16.	धनराज गरासिया एम.ए. 04.10.1990	विवाहित पुत्र	09.11.2024 कनिष्ठ सहायक	कालूलाल गरासिया अध्या. माशि	उदयपुर	उदयपुर
17.	नवीन कुमार मीणा सी.सै. 24.06.1997	विवाहित पुत्र	28.04.2025 कनिष्ठ सहायक	कृष्णलाल मीणा अध्या. माशि	उदयपुर	उदयपुर

क्र. सं.	आवेदक का नाम, योग्यता व जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि व आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	संबंधित जिला	आवंटित जिला
1	2	3	4	5	6	7
18.	घनश्याम वैरागी एम.ए. 23.04.1996	विवाहित पुत्र	01.07.2025 कनिष्ठ सहायक	कौशलदास वैरागी अध्या. माशि	उदयपुर	उदयपुर
19.	पियुष गर्ग डिप्लोमा 10.01.1999	अविवाहित पुत्र	05.08.2025 कनिष्ठ सहायक	सीमा अग्रवाल व.अ. माशि	अजमेर	अजमेर
20.	आदिल सी.सै. 23.01.2008	अविवाहित पुत्र	08.09.2025 कनिष्ठ सहायक	मोहम्मद फारुक व.अ. माशि	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
21.	मनोज कुमार बी.ए. 31.10.1991	पति	15.09.2025 कनिष्ठ सहायक	पूनम निर्वल अध्या. माशि	जयपुर	जयपुर
22.	समी उल हक बी.ए. 12.06.1999	अविवाहित पुत्र	15.09.2025 कनिष्ठ सहायक	शहफुल हक अध्या. माशि	करोली	करौली
23.	जितेश पुरी गोस्वामी बी.बी.ए. 30.08.2001	अविवाहित पुत्र	25.10.2025 कनिष्ठ सहायक	राजेशपुरी गोस्वामी अध्या. माशि	उदयपुर	उदयपुर
24.	प्रकाश परिहार बीएससी. 20.07.1998	विवाहित पुत्र	21.11.2025 कनिष्ठ सहायक	दुर्गा दास परिहार व.शा.शि. माशि	बाड़मेर	बाड़मेर
25.	वरुण चन्दानी बी.टेक. 06.11.1998	अविवाहित पुत्र	26.11.2025 कनिष्ठ सहायक	भागवन्ती माखीजानी पु.अ. माशि	जयपुर	जयपुर
26.	अंकित गरासिया बी.ए. 12.12.1995	विवाहित पुत्र	26.11.2025 कनिष्ठ सहायक	नानुलाल गरासिया अध्या. माशि	बांसवाडा	बांसवाडा
27.	आशीष कुमार शर्मा, बी.कॉम 25.11.1993	विवाहित पुत्र	27.11.2025 कनिष्ठ सहायक	दिनेश चन्द्र शर्मा व.अ. माशि	जयपुर	जयपुर
28.	महिपाल मईडा बी.ए. 10.08.1996	विवाहित पुत्र	06.12.2025 कनिष्ठ सहायक	देवली मईडा चश्रेक माशि	डुंगरपुर	बांसवाडा
29.	जेतमाल सिंह सी.सै.12.01.2003	अविवाहित पुत्र	06.01.2026 कनिष्ठ सहायक	भगवान सिंह अध्या. माशि	जैसलमेर	जैसलमेर
30.	अभय सिंह गेहलोत सी.सै. 21.12.2001	अविवाहित पुत्र	07.01.2026 कनिष्ठ सहायक	पूर्णमा राजपूत क.स. माशि	उदयपुर	उदयपुर
31.	राकेश कुमार कोली सी.सै. 20.10.1999	अविवाहित पुत्र	22.01.2026 कनिष्ठ सहायक	श्रीराम गुर्जर क.स. माशि	सीकर	सीकर

क्र. सं.	आवेदक का नाम, योग्यता व जन्मतिथि	मृतक से सम्बन्ध	आवेदन तिथि व आवेदित पद	मृतक का नाम मय पदनाम स्व. श्री/श्रीमती	संबंधित जिला	आवंटित जिला
1	2	3	4	5	6	7
32.	अनिल कुमार सी.सै. 24.05.1994	विवाहित पुत्र	24.01.2026 कनिष्ठ सहायक	टेक चन्द अध्या. माशि	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ
33.	उपेन्द्र सिंह धाभाई सी.सै. 16.09.2000	अविवाहित पुत्र	04.03.2026 कनिष्ठ सहायक	भूपेन्द्र सिंह धाभाई अध्या. माशि	झालावाड़	झालावाड़
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (स्थिर पारिश्रमिक – नियमानुसार देय)						
34.	ममता यादव 6वीं 05.04.1991	पत्नी	17.11.2025 च.श्रे.क	हंसराज यादव व.अ. माशि	टोंक	जयपुर
35.	कमली देवी साक्षर 01.01.1978	पत्नी	20.08.2025 च.श्रे.क	जगमोहन मीना शा.शि. माशि	चूरु	दौसा
36.	विमला 8वीं 04.12.2002	पत्नी	11.12.2025 च.श्रे.क	साजन च.श्रे.क माशि	सिरोही	सिरोही
37.	बन्नी देवी साक्षर 01.01.1987	पत्नी	14.05.2025 च.श्रे.क	ताराचंद बुरी कानि क-2	टोंक	टोंक
38.	बसन्ती 07वीं 02.02.1987	पत्नी	26.09.2025 च.श्रे.क	महेश चन्द वर्मा व.अ. माशि	धौलपुर	करौली
39.	शानू सिसोदीया 10वीं 18.02.2000	पत्नी	31.07.2025 च.श्रे.क	निकुंज भण्डेला क.स. माशि	बांसवाडा	बांसवाडा
40.	अमित सेन 09वीं 29.01.1995	अविवाहित पुत्र	03.10.2025 च.श्रे.क	ओम प्रकाश टांक अ.प्र.अ. माशि	उदयपुर	उदयपुर
41.	सुलोचना देवी 5वीं 05.04.1986	पत्नी	02.11.2023 च.श्रे.क	राम भज उ.निरी. क-2	चुरु	हनुमानगढ
42.	रेखा 8वीं 04.01.1994	पत्नी	14.02.2026 च.श्रे.क	लाडम सिंह क.स. माशि	करौली	करौली
43.	मंजू देवी साक्षर 18.10.1987	पत्नी	10.11.2025 च.श्रे.क	ओम प्रकाश च.श्रे.क माशि	डीडवाना कुचामन	डीडवाना कुचामन
44.	नर्वदा देवी साक्षर 01.01.1977	पत्नी	05.08.2025 च.श्रे.क	दशरथ रावल शा.शि. माशि	उदयपुर	डुंगरपुर

नोट :

1. क्रम संख्या 15 पर अंकित प्रकरण में शासन द्वारा न्यून आयु में तथा क्रम संख्या 15, 37 में विलम्ब अवधि में शिथिलन प्रदत्त है।
2. क्रम संख्या 10 पर अंकित प्रकरण कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.06.2025 के परिपत्रानुसार है।
3. क्रम संख्या 12 पर अंकित प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल याचिका सं 15488/2021 हीना शेख बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2022 तथा स्थाई समिति की बैठक दिनांक 29.01.2026 के निर्णयानुसार है।
4. क्रम संख्या 13 पर अंकित प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 762/2024 नरेन्द्र सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2024 तथा स्थायी समिति की बैठक दिनांक 25.02.2025 के निर्णयानुसार है।

(सीताराम जाट)

I.A.S.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

क्रमांक:-शिविरा-माध्य/अनु. नियु/ए-2/61217/नियुक्ति मूल माध्य/2026/48606 दिनांक : यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय.....को उल्लेखित.....अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश में वर्णित समस्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए रिक्त पद के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित कर जारी आदेशों की प्रति एवं कार्यग्रहण की सूचना इस कार्यालय का `email dseanukampaniyukti@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें।
7. श्री को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय कार्यालय में देकर पावती प्राप्त करें।
8. निजी सहायक सचिव, निजी अनुभाग (निदेशक)
9. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
10. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर